म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

M.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, GWALIOR

CELEBRATING 120 YEARS MPCCI

https://mpcci.in

e अर्थवार्ता

मासिक पत्रिका

MARCH 2026

- आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965
- वर्ष : 28, अंक : 09

http://www.mpcci.in
eअर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

ग्वालियर में स्थापित "औद्योगिक समस्याओं के एकल स्थल समाधान" हेतु बैठक आयोजित

एमपीआईडीसी, डीआईसी व नगर-निगम सहित म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहे उपस्थित

ग्वालियर शहर में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 10 मार्च 2026 को एक बैठक का आयोजन 'चेम्बर भवन' में किया गया । ''औद्योगिक समस्याओं के एकल स्थल समाधान'' बैठक में महाप्रबंधक, एमपीआईडीसी-श्री अमन कुमार, नगर-निगम से श्री राकेश कश्यप, प्रबंधक, डीआईसी-श्री अल्ताफ रजा सहित म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. के महाप्रबंधक-श्री संदीप कालरा आदि उपस्थित थे ।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि चेम्बर की स्थापना जब वर्ष-1906 में की गई थी, उसके पीछे उद्देश्य ही यह था कि व्यापारी बगैर किसी समस्या के अपना व्यापार करें और उद्योगपति अपना पूरा फोकस उद्योग को चलाने में लगाए तथा एक ऐसा संघटन बने जो कि उद्यमियों और सरकार के मध्य सेतु का कार्य करे । उसी उद्देश्य से हमारे द्वारा सर्व विभागीय एकल स्थल बैठक प्रारम्भ की गई है, जिसकी पिछली बैठक में यहाँ उपस्थित उद्योगपतियों द्वारा अपनी-अपनी समस्याएँ बताई गई थी, जिन्हें संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा तथा चेम्बर द्वारा नोटडाउन किया गया था । आपने कहा कि सर्वविभागीय बैठक की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव हो सके । आपने इस अवसर पर सभी औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त ऐसी समस्याएँ जो कि पूर्व की बैठक में प्रस्तुत की गईं थी, उन्हें सिलसिलेवार प्रमुखता के साथ अधिकारियों के ध्यानार्थ प्रस्तुत किया । आपने कहाकि तानसेन

नगर औद्योगिक क्षेत्र के पास नवनिर्मित आरओबी के नीचे बने नाले का मिलान अभी तक नहीं होने की समस्या का उल्लेख करते हुए कहाकि अगर इसका मिलान शीघ्र नहीं किया गया, तो बारिस के सीजन में काफी समस्या उत्पन्न होगी । इसलिए इस समस्या पर आगामी बैठक से पूर्व कार्यवाही होनी चाहिए । साथ ही, आपने आशा व्यक्त की कि पिछली बैठक में जो समस्याएँ आई थी, मुझे विश्वास है कि उनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान हो चुका होगा और अभी यहाँ उपस्थित विभाग के अधिकारीगण इसके संबंध में अवगत कराएँगे ।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने कहा कि उद्योगों की समस्याओं पर यह बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी और इसी श्रृंखला में आज यह द्वितीय बैठक आयोजित की गई है । हमारी टीम द्वारा सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के निधान हेतु 'पड़ाव चेम्बर' की शुरूआत की गई, जिसके तहत प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में पहुँचकर, संबंधित विभाग प्रमुख एवं उस क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं ।

इस अवसर पर महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष-श्री संजय कपूर ने कहा कि पिछली बैठक में हमने जो सुझाव दिए थे, समस्याएँ कुछ उससे ज्यादा भी थी । आपने कहाकि नगर-निगम से माँग की गई थी कि औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण तथा खण्डे के ट्रेक्टर जो कि विगत काफी वर्ष से खड़े हो रहे हैं, उन्हें महाराजपुरा पुलिस थाना के पास क्यों नहीं रोका जा सकता है, जबकि महाराजपुरा थाना के पास काफी खुला क्षेत्र हैं । परन्तु यह ट्रेक्टर ट्राली औद्योगिक क्षेत्र में आकर प्रतिदिन खड़ी हो रहीं हैं और पूरे औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली गाड़ियों को आने से ब्लॉक किया जा रहा है । इसके साथ ही आपने कहाकि इण्डस्ट्रियल एरिया में आने वाली गाड़ियों से कुछ गुण्डा तत्व के लोग पैसे वसूल करके अवैध रसीद काट रहे हैं । यह एक गंभीर समस्या है । दिन के समय में महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गाड़ियों का आवागमन पूर्व की भांति किए जाने तथा औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़कों की पेच रिपेयरिंग व उसके पश्चात् भोपाल से धनराशि स्वीकृत होने पर सड़कों के डामरीकरण पर अपनी बात रखी ।

इसी के साथ बैठक में उपस्थित तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष-श्री अशोक प्रेमी, बाराघाटा औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष-श्री सोबरन सिंह तोमर एवं गिरबाई उद्योग नगरी से पधारे प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में सीवर लाईन की समस्या सहित नियमित रूप से सफाई व कचड़ा नहीं उठने, बाउण्ड्री वॉल का निर्माण आदि की माँग को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया ।

बैठक में उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल सहित उद्योगपति सर्वश्री आदेश बंसल, अनिल माहेश्वरी, श्रीमती मीनाक्षी गर्ग, विनोद गर्ग, शैलेन्द्र गर्ग, दिनेश गुप्ता, विष्णु अग्रवाल, सुशील मित्तल, तरुण सिंघल, गोपाल गोयल, संजय धवन, सुरेश बतवानी, अनिल दुबे, शैलेन्द्र गोयल, रवि हरिलालका, राजेन्द्र तलूजा, आदित्य ओझा व उदय गुप्ता आदि उपस्थित थे । बैठक के अंत में आभार, कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया ।

सदस्य उपलब्धियाँ...

फेडरेशन ऑफ म. प्र. चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भोपाल के निर्वाचन सम्पन्न

फेडरेशन ऑफ म. प्र. चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भोपाल के निर्वाचन : 2026-28 की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष - डॉ. प्रवीण अग्रवाल ''कॉरपोरेट एसोसिएशन केटेगरी'' में निर्विरोध कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए हैं। साथ ही, पूर्व मानसेवी सचिव-श्री भूपेन्द्र जैन ''फर्म केटेगरी'' में निर्विरोध कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

डॉ. प्रवीण अग्रवाल

श्री भूपेन्द्र जैन

म. प्र. शासन द्वारा ''जिला विकास सलाहकार समिति'' का गठन

डॉ. प्रवीण अग्रवाल

दीपक बंसल

मयंक गर्ग

राहुल अग्रवाल

आशीष प्रताप सिंह राठौर

म. प्र. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री-डॉ. मोहन यादव जी की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रभारी मंत्री-माननीय श्री तुलसी सिलावट द्वारा उद्योग, व्यापार, प्रगतिशील किसान, समाजसेवा, चिकित्सा, विधि आदि क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, सदस्य-श्री दीपक बंसल, श्री मयंक गर्ग, श्री राहुल अग्रवाल व श्री आशीष प्रताप सिंह राठौर को उक्त समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है।

संजय धवन

विनोद गर्ग

भारत विकास परिषद मध्य भारत उत्तर प्रान्त के नवीन पदाधिकारी चयनीत

भारत विकास परिषद मध्य भारत उत्तर प्रान्त ईस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के नवीन पदाधिकारी व ट्रस्टियों का सर्वसम्मति से वर्ष 2026-28 के लिए चयन किया गया। इसमें सचिव-श्री संजय धवन एवं निवर्तमान चेयरमैन व ट्रस्टी-श्री विनोद गर्ग को नियुक्त किया गया है।

गोविन्द बंसल

सालिगराम गोयल

दीपक जैन

नरेन्द्र मंगल

दीपक मंगल

मोहनलाल अग्रवाल

श्री ग्वालियर वालान अग्रवाल पंचायत-श्रीराम मंदिर, फालका बाजार के निर्वाचन सम्पन्न

श्री ग्वालियर वालान अग्रवाल पंचायत-श्रीराम मंदिर, फालका बाजार, लश्कर के निर्वाचन में निम्नलिखित पदाधिकारी, निम्नानुसार निर्वाचित हुए हैं :-

अध्यक्ष-श्री गोविन्द बंसल, उपाध्यक्ष-श्री सालिगराम गोयल, महामंत्री-श्री दीपक जैन, कोषाध्यक्ष-श्री नरेन्द्र मंगल, उत्सव मंत्री-श्री दीपक मंगल, लेखा निरीक्षक-श्री मोहनलाल अग्रवाल।

कार्यकारिणी सदस्य (मनोनीत) : सर्वश्री रामनिवास अग्रवाल, पुरुषोत्तम जैन, मदनमोहन गर्ग।

सदस्य उपलब्धियाँ...

वैश्य महासम्मेलन म. प्र. ग्वालियर संभाग की टीम गठित

कैलाशचन्द्र गर्ग

योगेश गोयल

सुनील अग्रवाल (सन्नी)

सुरेन्द्र अग्रवाल

वैश्य महासम्मेलन म. प्र. ग्वालियर संभाग की टीम का निम्नानुसार हुआ गठन :-

संभागीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष-श्री कैलाशचन्द्र गर्ग, उपाध्यक्ष-योगेश गोयल, कोषाध्यक्ष-श्री सुनील अग्रवाल (सन्नी), सह प्रभारी-श्री सुरेन्द्र अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं।

दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर के निर्वाचन सम्पन्न

अंकित जैन

रूपेश जैन

दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर के निर्वाचन में श्री अंकित जैन 'उपाध्यक्ष' एवं श्री रूपेश जैन 'कोषाध्यक्ष' पद पर मनोनीत हुए हैं।

पदाधिकारियों ने उपरोक्त सदस्य महानुभावों के निर्वाचित होने व चयन पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ दी हैं ।

स्टेशन उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

स्टेशन उपभोक्ता सलाहकार समिति (SRUCC) की दिनांक 14 मार्च 2026 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में चेम्बर की ओर से SRUCC सदस्य-श्री रवि कुमार गर्ग शामिल हुए । इस अवसर पर स्टेशन डायरेक्टर, श्री बी. के. भारद्वाज व स्टेशन प्रबंधक, श्री जी. एस. राठोर उपस्थित थे ।

बैठक में श्री रवि कुमार गर्ग ने निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत किए :-

- गर्मी के मौसम में स्टेशन पर पेयजल की उचित व्यवस्था की जाए ।
- पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए व रेट लिस्ट लगी होना चाहिए ।
- रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए ।
- एस्केलेटर चालू नहीं रहते है, प्रत्येक समय संचालन सुनिश्चित किया जाए ।
- प्लेटफॉर्म पर भिखारी नहीं होना चाहिए ।
- स्टेशन पर खानपान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए ।
- यात्री गाड़ियों की समय-सारिणी बिल्डिंग के बाहर भी डिस्प्ले होना चाहिए ।
- वृद्ध एवं असहाय लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था स्टेशन के दोनों ओर होनी चाहिए ।
- कुलियों के रेट प्लेटफॉर्म पर आगे एवं पीछे दोनों तरफ होना चाहिए ।

मार्च 2026 के महत्वपूर्ण प्रयास...

* आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, जीयाजी चौक (महाराज बाड़ा) पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ प्रत्येक समय उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई।

* जिलाधीश, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, प्रस्तावित पुस्तक मेला में ''पुस्तक एवं स्टेशनरी'' व्यवसाईयों पर दुकान लगाने का दबाव बनाने के संबंध में दुकानदारों को होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए, सुझाव प्रस्तुत किए गए।

* पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शहर के लगभग सभी मार्गों पर विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को सख्ती से रोके जाने की माँग की गई, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित बनी रहे।

* मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर रीजन, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित कर, महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित विद्युत सबस्टेशन की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किए जाने की माँग की गई।

* जिला पंजीयक, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, 'जिला ग्वालियर में अचल सम्पत्तियों का वर्ष 2026-27 में मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तावित कलेक्टर गाईड लाईन के तहत सुझाव व आपत्तियाँ प्रस्तुत की गईं।

* आयुक्त सह संचालक, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म. प्र. भोपाल एवं संयुक्त संचालक, टीएण्डसीपी, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, माँग की गई है कि ग्वालियर के ''मास्टर प्लान-2035'' के तहत प्रीमियम बेस्ड एफएआर की दरें यदि म. प्र. के किसी भी शहर में लागू की गईं हों, तब उसके अनुसार ही ग्वालियर में लागू की जाएँ और 25% के प्रस्तावित प्रावधान को निरस्त किया जाए।

* जिलाधीश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 7 फरवरी 2026 में लिए गए निर्णयानुसार, पाटनकर बाजार चौराहे पर सवारी ऑटो स्टैंड को सामने शिफ्ट किए जाने की माँग की गई।

* केन्द्रीय संचार मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री-श्री किंजारापु राममोहन नायडू को पत्र प्रेषित कर, दि. 29 मार्च 26 से लागू होने वाले 'समर शेड्यूल' में ग्वालियर से बेंगलुरु व नई दिल्ली के मध्य प्रतिदिन संचालित होने वाली उड़ानों को क्रमशः 5 एवं 3 दिन किए जाने पर आपत्ती व्यक्त करते हुए, ग्वालियर से पुणे, इन्दौर व सूरत के लिए फ्लाइट प्रारम्भ किए जाने की माँग की गई।

1 अप्रैल 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक के लिए घोषित पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें

श्रमायुक्त, इन्दौर द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है, जो निम्नानुसार 01 अप्रैल 2026 से लागू हैं:-

श्रमिकों का वर्ग	कुल वेतन (रु. प्रतिमाह)	कुल वेतन (रु. प्रतिदिन)
अकुशल	12425.00	478.00
अर्द्धकुशल	13421.00	516.00
कुशल	15144.00	582.00
उच्च कुशल	16769.00	645.00

अग्नि सुरक्षा हेतु फायर एक्सटिंग्विशर अपने प्रतिष्ठानों में आवश्यक रूप से रखें व्यापारी : एसडीएम, श्री नरेन्द्र बाबू यादव

ग्वालियर में अभी हाल ही में दो अग्नि दुर्घटनाएँ घटित हुई हैं, इन अग्नि दुर्घटनों को रोकने के लिए पहले दो मिनट का समय गोल्डन पीरियड होता है, यदि हमने इस समय में अग्नि सुरक्षा के उपाय प्रयोग कर लिए, तब एक बड़ी आगजनी की घटना को रोका जा सकता है । यह बात दिनांक 28 मार्च को 'चेम्बर भवन' में कार्यकारिणी समिति की बैठक उपरांत कार्यकारिणी समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए एसडीएम (लश्कर)-श्री नरेन्द्र बाबू यादव द्वारा कही गई ।

एसडीएम-श्री नरेन्द्र बाबू यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्वालियर जिले को अग्नि दुर्घटनाओं से मुक्त करने के जिला प्रशासन द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम में समाज के सभी वर्गों के साथ ही व्यापारी अहम भूमिका निभा सकते हैं । आपने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला में दिनांक 29, 30 एवं 31 मार्च को तीन-दिवसीय अग्नि सुरक्षा मेले का आयोजन किया जा रहा है । इस मेले में देश के विख्यात 15 से अधिक वेण्डर्स आ रहे हैं । मेले में फायर फाइटिंग उपकरणों का प्रदर्शन के साथ ही, इन उपकरणों का कैसे प्रयोग किया जा है, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त आग लगने पर हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए, उससे भी अवगत कराया जाएगा । आपने कहा कहा कि अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी प्रतिष्ठानों, घरों एवं गोदामों पर फायर एक्सटिंग्विशर अवश्य होना चाहिए । इस उपकरण का कैसे प्रयोग किया जाए, उसे व्यापारी स्वयं सीखें एवं अपने कर्मचारियों को भी सिखाएँ एवं अपने घर के सदस्यों को भी इसका प्रशिक्षण दें, ताकि आग लगने पर समय पर इसका प्रयोग किया जा सके । आपने व्यापारियों से आव्हान किया कि अग्नि सुरक्षा मेले में जरूर शामिल हों और अपने संस्थानों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर क्रय कर, आगजनी घटनाओं को रोकने में सहयोग प्रदान करें ।

इस अवसर पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि अग्नि सुरक्षा मेला का आयोजन प्रशासन की एक अच्छी पहल है। व्यापारी की इसमें सहभागिता हो, इसमें चेम्बर अपनी अहम भूमिका का निर्वाहन करेगा । साथ ही, आपने जिला प्रशासन से मांग की कि नगर-निगम के पास केवल फायर ब्रिगेड की उपलब्धता आग बुझाने के लिए है, जबकि आग बुझाने के लिए हाइड्रा जैसे उपकरण के साथ ही फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ियाँ एवं बुलेट फायर ब्रिगेड भी होना चाहिए, जो कि संकरी गलियों एवं बाजारों में दुर्घटना घटित होने पर काम आ सकें । आपने कहा कि इस अग्नि मेले के बाद जिला प्रशासन, नगर-निगम, पुलिस एवं व्यापारियों से एक साथ एक बैठक अग्नि सुरक्षा पर करें, ताकि सभी के समन्वय से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें ।

बैठक में संयुक्त अध्यक्ष-हेमंत गुप्ता ने कहा कि यदि किसी बाजार में आगजनी की घटना होती है, तो उनके हनुमान चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर फायर एक्सटिंग्विशर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हैं, जिसे वे आगजनी की घटनाओं के लिए सहर्ष देने को तत्पर रहेंगे ।

मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने कहा कि अग्नि सुरक्षा मेले के आयोजन की माँग म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा ही की गई थी क्योंकि नेशनल बिल्डिंग कोड में फायर के जो नार्म्स हैं, वह बहुत ज्यादा हैं और उनका पालन करना अधिकांशत: संभव नहीं हो पाता है और आगजनी की दुर्घटना जब घटित होती हैं, तो विभाग कार्यवाही के लिए सख्त हो जाता है । इसलिए अग्नि सुरक्षा मेला न केवल लोगों में जागरूकता बढ़ाएँगे, बल्कि आगजनी की घटनों को रोकने में भी सहायक होंगे।

बैठक में उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल सहित कार्यकारिणी समिति सदस्यगण उपस्थित थे ।

http://www.mpcci.in
eअर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 28 मार्च 2026 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :–

* समूह परिवर्तन हेतु प्राप्त निम्नलिखित आवेदन–पत्रों पर विचार कर, समूह परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया :–
  - (I) मेसर्स शीतल इण्डस्ट्रीज, समूह क्र.–60 (लघु उद्योग : अन्य) से समूह क्र.–54 (लघु उद्योग : खाद्य पदार्थ)
  - (II) मेसर्स जय बाबा इण्डस्ट्रीज, समूह क्र.–60 (लघु उद्योग : अन्य) से समूह क्र.–54 (लघु उद्योग : खाद्य पदार्थ)
  - (III) मेसर्स साईं बाबा इण्डस्ट्रीज, समूह क्र.–60 (लघु उद्योग : अन्य) से समूह क्र.–54 (लघु उद्योग : खाद्य पदार्थ)
  - (IV) मेसर्स गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, समूह क्र.–06 (थोक किराना व्यवसाय) से समूह क्र.–05 (खाद्यान्न व्यवसाय)
  - (V) मेसर्स जय कुमार दीपक कुमार, समूह क्र.–02 (थोक वस्त्र व्यवसाय) से समूह क्र.–3 (सिंथेटिक वस्त्र व्यवसाय)
  - (VI) मेसर्स श्रीनाथ फैबरिकेशन, समूह क्र.–37 (रेडीमेड गारमेन्ट्स व्यवसाय) से समूह क्र.–03 (सिन्थेटिक वस्त्र व्यवसाय)
  - (VII) मेसर्स प्रदीप टैक्सटाईल, समूह क्र.–02 (थोक वस्त्र व्यवसाय) से समूह क्र.–03 (सिन्थेटिक वस्त्र व्यवसाय)
  - (VIII) मे. पाण्डे कंस्ट्रक्शन, समूह क्र.–20 (भवन निर्माण सामग्री) से समूह क्र.–22 (बिल्डर एवं डवलपर्स व्यवसाय)
  - (IX) मे. फूलचन्द अत्तार औषधालय, समूह क्र.–38 (विवाह व्यवसाय) से समूह क्र.–25 (खेरीज औषधि व्यवसाय)
  - (X) मेसर्स ग्वालियर टावर्स प्रा. लि., स.क्र.–22 (बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स) से स.क्र.–47 (लघु उद्योग : विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक्स)

5. संविधान के अध्याय–एक की धारा–5 में दी गई व्यवस्था के तहत प्राप्त निम्नलिखित आवेदनों पर विचार कर फर्म का नाम परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया :–
   - (I) मेसर्स सांवलदास खूबचन्द का नाम परिवर्तित कर, मेसर्स ओम ट्रेडर्स, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
   - (II) मेसर्स केदारनाथ गोयल एण्ड कं. का नाम परिवर्तित कर, मेसर्स श्री दुर्गा पेन्ट हाउस, पाटनकर बाजार.
   - (III) मे. अग्रवाल स्टील कं. का नाम परिवर्तित कर, मेसर्स नारायण ज्वेलर्स, सोना टावर, सराफा बाजार, लश्कर.
6. अध्यक्ष – डॉ. प्रवीण अग्रवाल जी का छाया चित्र, श्रीमंत माधवराव सिंधिया सभागार में लगाए जाने का निर्णय लिया गया।

आवश्यक सूचना

सम्माननीय सदस्य महानुभावों,

नवीन वित्तीय वर्ष 2026–27 का सदस्यता शुल्क दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से देय हो गया है।

सदस्यता शुल्क को बगैर अधिभार के दि. 30 जून 26 तक जमा किया जा सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् रु. 200/– प्रति वर्ष अधिभार की राशि देय होगी।

* पब्लिक लिमिटेड कं. : रु. 2500+GST (18%)
* प्रायवेट लिमिटेड कं. : रु. 1250+GST (18%)
* साधारण सदस्य : रु. 750.00

प्रेषक : स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा सागर प्रिन्टर्स, ग्वालियर से डिजाइन तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक–दीपक अग्रवाल, दूरभाष–2371691,2632916,2382917